



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 2140 / 07 / प्रशा० / MSU / 2023-24

दिनांक : 24.01.24

सेवा में,

01. प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
विश्वविद्यालय परिसर


विषय: मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य हुए एम०ओ०यू० के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के संलग्न पत्र संख्या-365/सत्तर-3-2024, दिनांक : 23 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र संख्या -82/सी०ई०ओ०-6/2-2023, दिनांक : 16.01.2024 की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया यथा निर्देश आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,


(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
02. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
03. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।


कुलसचिव

प्रेषक,

डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 23 फरवरी, 2024


विषय : मतदाता शिक्षा एवं जागरूकता हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य हुए एम०ओ०यू० के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-82/सीईओ-6, दिनांक 16.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत एम०ओ०यू० के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या प्रकरण में नामित नोडल अधिकारी डॉ० मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक, उ०प्र० शासन एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।



(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री मिश्रा), उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- डॉ० मंजू सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक, उ०प्र० शासन/नामित नोडल अधिकारी।
- 5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(एस०पी० मिश्रा)
उप सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मध्य हुए (MoU) के सम्बन्ध में दिनांक 09.01.2024 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

भारत निर्वाचन आयोग व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मध्य हुए (MoU) के सम्बन्ध में दिनांक 09.01.2024 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के साथ बैठक आयोजित की गयी। उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- डा० अखिलेश मिश्रा, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन
- सुश्री निधि श्रीवास्तव, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
- डा० मंजू सिंह, स्टेट को-आर्डिनेटर, एन०एस०एस०, उत्तर प्रदेश शासन
- श्री टी०पी० गुप्ता, सांख्यिकीय अधिकारी/स्वीप नोडल अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन से भारत निर्वाचन आयोग व भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के मध्य हुए (MoU) के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाहियां की जाने की अपेक्षा की गयी है:-

- निर्वाचन प्रक्रियाओं पर शैक्षिक सामग्री विकसित किया जाये और मतदाता साक्षरता को सभी कॉलेजो/विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाये।
- प्रत्येक स्कूल/कॉलेज में कम से कम एक मतदाता साक्षरता क्लब (ई०एल०सी०) को कियाशील किये जाने की अपेक्षा की गयी।
- प्रत्येक स्कूल/कॉलेज में एक अथवा दो अध्यापकों को ई०एल०सी० का नोडल अधिकारी नामित किया जाये, एवं इन अध्यापकों के लिए मतदाता साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण आयोजित कराया जाये।
- प्रत्येक ई०एल०सी० के लिए किसी सक्रिय छात्र को संयोजक बनाया जाये, जो कॉलेज के नोडल अधिकारी से समन्वय करते हुये मतदाता जागरूकता एवं साक्षरता विषय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करायेंगे। इनके लिए विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित कराया जाये।
- ई०एल०सी० के माध्यम से प्रत्येक छात्र को ई०वी०एम०, वी०वी०पैट तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किये गये विभिन्न प्रकार के एप्स के बारे में जानकारी दी जाये।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के उच्च शिक्षा विभाग, निर्देशानुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाये।
- उत्तर प्रदेश शासन निर्वाचन के दौरान छात्राओं/छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाये।
- UDISE तथा AISHE पर उपलब्ध 17 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों का विवरण उपयोग करते हुये इन्हें ई०एल०सी० के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी जाये तथा इनके ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण किये जाने हेतु स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में सहयोग किया जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग किसी एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर सूचित करें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय से समन्वय कर एम०ओ०यू० के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करायेंगे।

4232/USCA/ME
80-3
Sintup

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

श्री श्वेता
13/1/2024

